कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

अजय कुमार सिंह, (बि०शि०से०)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर–842001

मोबाईलन०–8544411632
deomuzaffarpur.edn@gmail.com

पत्रांक :–35 / मुजफ्फरपुर, दिनांक :–15/07/2023

सेवा में,

जिला प्रभारी पदाधिकारी
एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर।

विषय :– अतिथि शिक्षकों के नियोजन हेतु जिला के बेवसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति का सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे जिला के बेवसाईट पर प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–
सॉफ्ट–कॉपी एवं हार्ड–कॉपी
प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

15/7/23

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर

Praful
15/07/23

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

प्रेस विज्ञप्ति (वेब हेतु)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक–371 दिनांक 03.07.2023 के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदनः– दिनांक 17.07.2023 से दिनांक 20.07.2023 तक अनिवार्य रूप से **बी0बी0 कॉलेजिएट, मोतीझील, मुजफ्फरपुर स्थित कैम्प कार्यालय** में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक हाथो–हाथ/निबंधित डाक से जमा किया जा सकता हैं। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति मे आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. अर्हताः–। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–2) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. आयु सीमाः– 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष।

4. चयनित अतिथि शिक्षक को 1000 (एक हजार) रू० प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात 25000/–(पच्चीस हजार) रूपये प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित है।

5. आवेदन भरते समय आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैः–

(क) मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित।
(ख) बी0एड0 के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित।
(ग) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–2) में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित।
(घ) जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित।
(ड.) दिव्यांगता के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित।

6. राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरणः–

क्र०सं०	कोटि	कला	विज्ञान					कुल
		अंग्रेजी	गणित	भौतिकी	रसायन शास्त्र	प्राणी शास्त्र	वनस्पति शास्त्र	
1	अनुसूचित जाति	1	3	1	2	1	0	
2	अनुसूचित जाति महिला	1	2	2	1	0	0	
3	अनुसूचित जन जाति	1	1	1	1	0	0	
4	अनुसूचित जन जाति महिला	0	0	0	0	0	0	
5	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	2	1	1	1	1	1	
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	0	1	2	1	0	0	
7	पिछड़ा वर्ग	1	1	1	1	0	0	
8	पिछड़ा वर्ग महिला	0	0	0	0	0	0	
9	पिछड़ा वर्ग की महिला	1	1	1	1	0	0	
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0	1	1	0	0	
11	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	0	1	0	1	0	0	
12	अनारक्षित	0	0	0	0	1	0	
13	अनारक्षित महिला	2	1	2	1	1	0	
	कुल	**10**	**12**	**12**	**11**	**4**	**1**	

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–62 दिनांक 05.01.2007 एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प सा0प्र0–13062, पटना–15 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांग को आरक्षण का लाभ देय है।
2. बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्ग के महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसके आधार पर रिक्ति के अनुरूप महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी रोस्टर बिन्दु के अनुसार कोटिवार दिया गया है।
3. बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना, के पत्र संख्या–2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी की नियुक्ति में दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है के क्रम में रोस्टर बिन्दु–50 तक व्यवहृत हो रहा हो तो एक अभ्यर्थी का चयन तथा रोस्टर बिन्दु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो तो दो अभ्यर्थी का चयन(जिस कोटि के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी होंगे उसी कोटि के रोस्टर बिन्दु पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए) किया जायेगा।

4. विभागीय निदेशानुसार रोस्टर बिन्दु एवं रिक्ति में संशोधन संभावित है। सूचना एवं आवेदन का प्रारूप जिले के website www.muzaffarpur.bih.nic.in पर देखा सकता हैं

15/07/23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मा0शि0, मुजफ्फरपुर।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, मुजफ्फरपुर।

15/7/23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

Scanned with OKEN Scanner

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु–

अतिथि शिक्षक उच्चत्तर माध्यमिक– प्रशिक्षित [ ] अप्रशिक्षित [ ]

पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमणित फोटो

1 जिला का नाम:–

2 विषय:–

3 अभ्यर्थी का नाम

4 पिता का नाम

माता का नाम

5 जन्म तिथि

6 लिंग पुरूष [ ] महिला [ ]

7 01 जनवरी 2023 को आयु वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

8 स्थीय पता:–ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर...

थाना:– ...., जिला:–.. पिन:–.................................

माबाईल नं०.. ईमेल...

9. पत्राचार का पता:–ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर...

थाना:–.. जिला:–.. पिन:–.................................

10 कोटि:– सामान्य [ ] आरक्षित [ ] EWS [ ]

11 आरक्षण कोटि:– अ०जा० [ ] अ०ज०जा० [ ] अ०पि०व० [ ] पि०व० [ ]

12 यदि दिव्यांग हो तो:– दृष्टि बाधित [ ] मूकबधिर [ ] अस्थिजन्य निश:क्त [ ]

13 योग्यता:–

शैक्षणिक	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद् या विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	कुल पूर्णाक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
माध्यमिक							
उच्चत्तर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट							
स्नातक/ स्नातक प्रतिष्ठा/बी०टेक							
स्नातकोत्तर/एम० टेक							
प्रशैक्षणिक योग्यता							
बी०एड०							
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–2)							

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान:–..

तिथि:–..

आवेदक का हस्ताक्षर

श्री/सुश्री/श्रीमती..से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या................................ है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner